राजस्व अपील संख्या 184/2023

अनवान

मधुसुदन गांधी बनाम राज0 राज्य जरिये तहसीलदार बालेसर

दिनांक 05–06–2023

उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालेसर, जिला जोधपुर के द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 105/2021 अनवान तहसीलदार बालेसर बनाम समस्त गांव अनोपसिंह नगर मे पारित आदेश दिनांक 02–12–2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया हुआ होने से अपीलांट अधिवक्ता की स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश दिनांक 02–12–2021 का अवलोकन किया एवं पत्रावली के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात इत्यादि का भी अध्ययन किया तथा अपीलांट अधिवक्ता द्वारा चाही गई इस्तदुआ पर भी मनन किया। जिसके आधार पर अपीलांट की उक्त अपील को आंशिक स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बालेसर, जिला जोधपुर के द्वारा पारित किये गये आदेश दिनांक 02–12–2021 के कम मे तहसीलदार, बालेसर, को निर्देशित किया जाता है कि वे उभय पक्षकारान की उपस्थिति में मौका जॉच करे तथा मौका रिपोर्ट तैयार करे। तत्पश्चात नियमानुसार प्रकरण का निस्तारण करें। कोई भी पक्ष कदीमी रास्ता बन्द नहीं करें। उक्त निर्देशो के साथ हस्तगत अपील का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फेसलशुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय आज खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया।

अति0 संभागीय आयुक्त

जोधपुर